ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का शैक्षणिक परिवेश से संबंध

राजस्थान के जयपुर जिले की दूदू तहसील के संदर्भ में एक अध्ययन

राजनीति विज्ञान में

पीएच.डी. हेतु प्रस्तुत

शोध प्रारूप

शोध निर्देशक
जेवियन प्रो. (डॉ.) संजय बुन्देला

शोधार्थी
जेवियन किरण कुमारी
JVR I/1/18/10001

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान (भारत)
2018

ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का शैक्षणिक परिवेश से संबंध

राजस्थान के जयपुर जिले की दूदू तहसील के संदर्भ में एक अध्ययन

प्रस्तावना

भारत में प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में आम नागरिक की भागीदारी होती है। यह भागीदारी चुनावों के माध्यम से होती है। प्रजातंत्र में राज्य की हैसियत सबसे ऊँची होती है। राज्य के हाथ बहुत लंबे होते है। यह राज्य ही है जो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों यानि धारा सभा और संसद द्वारा कर लगा सकती है। कानून के द्वारा राज्य ही किसी अपराधी को फाँसी के फंदे पर चढा देता है। यह राज्य ही है जो शांति और सुरक्षा देता है। राज्य की इस शांति का विकेन्द्रीकरण या हस्तान्तरण आम नागरिक तक होता है। ग्राम पंचायत और कुछ न होकर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा शक्ति का हस्तांतरण है। भारत की परम्परा गाँवों की रही है। गाँवों के प्रति हमारा अगाध प्यार है और इस परम्परागत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें केन्द्र और राज्य द्वारा गाँवों को दी गई शक्ति का हस्तान्तरण है।

गाँधीजी ने गाँव स्वराज पर अपने विचार व्यक्त किए है। उनकी विचाराधारा थी कि देश में ग्रामीण स्वराज आ जाना चाहिए लेकिन वे गाँव को हेनरीमेन की तरह एक गण्तंत्र नहीं बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि गाँव का सावयवी संबंध देश के विशाल भागों के साथ होना चाहिए। देश में कुछ होता है तो इसके परिणामस्वरूप गाँवों में भी कुछ होना चाहिए और गाँवों में कुछ होता है तो इसका प्रभाव अन्य गाँवों, शहरों व देश के अन्य भागों पर भी पडना चाहिए। हेनरीमेन की तरह गाँव कोई टापू नहीं है। इसी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत शक्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ है। जब संविधान निर्माण करने वाली कमेटी ने संविधान के मसविदे को गाँधीजी को दिया तब उनकी टिप्पणी यह थी कि यह संविधान उनके सपने को पूरा नहीं करता। गाँव में राज्य और केन्द्र का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। गाँव के मसले, गाँव के विवाद, गाँव के त्यौहार, गाँव की मुठभेड गाँव की अपनी होती है और इसलिए केन्द्र और राज्य के पास में निर्णय लेने की जो शक्ति है वह गाँव की चौपाल तक पहुँच जानी चाहिए।

ग्राम पंचायतों में नेतृत्व एवं महिला सशक्तीकरण –

स्वतंत्रता से पूर्व की शक्ति संरचना एवं पंचायती राज की स्थापना के पूर्व तक गांवों में महिला प्रतिनिधित्व नहीं था। इस अर्थ में पंचायती राज की संकल्पना ने महिला जन प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है पंचायती राज की स्थापना के पश्चात् कुछ ग्राम पंचायतों में महिलाओं को

मनोनीत किये जाने की जानकारी मिलती है परन्तु इसका प्रतिशत नगण्य ही रहा। महिला आरक्षण के द्वारा ही पहली बार महिलाएँ नवीन

प्रावधानों से निर्वाचित होकर राजनैतिक सहभागी बनी। निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों, कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का विशेष प्रशिक्षित ज्ञान नहीं है तथा राजनीतिक अनुभव की भी कमी है इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है तथा अधिकांशतः इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है इनमें निर्णय लेने की योग्यता एवं क्षमता का भी अभाव है अधिकांश भूमिकाओं का निर्वहन या तो महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों द्वारा किया जाता रहा है यदि पति की राजनीति में रूचि नहीं है तो विशिष्ठ वर्ग एवं राजनैतिक दलों के प्रभावी नेताओं द्वारा निर्णय को प्रभावित किया जाता है

इन महिला प्रतिनिधियों को विकास योजनाओं की जानकारी के अभाव ने उन्है संकुचित व्यवहार पर निर्भर कर दिया है जिसका लाभ प्रभावशाली सत्ता के पुरूषों द्वारा उठाया जा रहा है जो राजनीति में पहले से ही जमे हुए है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में यद्यपि महिलाओं को आगे आने के अनेक अवसर प्रदान किये है परन्तु वे प्रशिक्षित न हो पाने के कारण स्वतंत्र भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही है।

निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को पद के अनुरूप तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देने की वर्तमान प्रणाली से जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है क्योंकि निर्णय को प्रभावी बनाने, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्र के विकास एवं प्रशासनिक तालमेल बनाने की दृष्टि से उनको प्रदान किया जा रहा है प्रशिक्षण कई मामलों में अपूर्ण है वहीं महिलाओं की परम्परागत सोच भी उन्है आगे बढ़कर कुछ करने से रोकती है।

ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता –

पिछले कुछ वर्षों में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है तथा सशक्तीकरण, जनतान्त्रिक, सामाजिक तथा महिला आन्दोलनों का प्रमुख लक्ष्य बन गया है। महिला जो मानव समाज का लगभग 50 प्रतिशत है का देश की आर्थिक तथा सामाजिक व्यववस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि आज जीवन की सभी गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। महिलाएं पेतन भोगी है, वे व्यवसायी है, वे गरीब है, वे सम्पन्न है, वे शिक्षित है, वे अशिक्षित है, वे शहरी क्षेत्रों में है, वे ग्रामीण क्षेत्रों में है; ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं नहीं हों।

आज महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी बढी है। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढनें से उनमें सामाजिक चेतना का भी संचार हुआ है। महिलाएं कृषि उद्योग, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, आवास तथा अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है। महिला आनिविका अर्जक है, उद्यमी है, सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता है। हमारे समाज और जीवन में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हों जिसमें महिलाओं की उपस्थिति ना हो।

हम 21 वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके है। भारत की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बहुत अधिक विभिन्नता के बावजूद पिछली अर्द्धशताब्दी में भारतवर्ष की राजनीति में महिलाओं की भूमिका में एक सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है।

महिला सशक्तीकरण एक विश्वव्यापी मुद्दा है। विश्व के सभी औपचारिक और अनौपचारिक आन्दोलनों में स्त्री अधिकारों का चिन्तन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महिला सशक्तीकरण की चर्चा पूरे विश्व में है तथा यह एक सक्रिय तथा बहुआयामी प्रक्रिया है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उनकी सक्रियता और शख्सियत का बोध कराता है। सुषमा सहाय के अनुसार शक्ति ना तो कोई वस्तु है जिसका लेन देन किया जा सकता है और ना ही इसको प्राप्त किया जाता है तथा एक बार प्राप्त किए जाने के बाद इस शक्ति का उपयोग तथा परीक्षण किया जाना चाहिए।

डॉ. वैशाली के अनुसार महिला सशक्तीकरण को दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्त्री–पुरूष में भेदभाव कों कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया है।

सशक्तीकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों कों अपने जीवन की परिस्थितियों को नियन्त्रित करने के बेहतर अवसर मिल जाते है।

भारतीय राजनीति में महिलाएं –

राजनैतिक क्षेत्र में अनेक स्त्रियां लोक सभा व विधान सभाओं की सदस्य है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में एक तिहाई आरक्षण का पंचायत तथा नगरीय स्थानीय निकाय व्यवस्था में प्रावधान है। इससे स्त्रियों को सत्ता व शक्ति के क्षेत्र में भागीदारी के अवसर सुनिश्चित किया गया है। वह इस व्यवस्था में अपने घर के दायरे से बाहर निकलकर सार्वजनिक क्षेत्रों की समस्याओं व विकास के कार्यक्रमों को समझने व उसमें सक्रिय के माध्यम से बदलने की क्षमता प्राप्त करती है। शिक्षा के अभाव के कारण व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों की अनभिज्ञता से प्रायः इन स्त्रियों को पुरूषों – विशेषकर पति के सहारे व संबल के आधार पर कार्य संचालन व संपादन करना पडता है। अंततः

अगर पुरूष के स्वर ही मुखर होकर स्त्री के माध्यम से अभिव्यक्त होते है तो स्त्री की प्रस्थिति, सोच व स्वर में सार्थक परिवर्तनों की अपेक्षा करना सही नहीं होगा।

वर्तमान में स्त्रियां नए पेशों को, नए उद्यमों को, नई वृत्तियों को अपना रही है, लेकिन फिर भी समाज के परम्परागत, संस्थागत ढांचे के कारण उन्है अपने घर, अपने परिवार, उपने परिवेश मे अपेक्षित, उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है। आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद उसे सामाजिक समानता व स्वतन्त्रता नही प्राप्त हुए हैं।

सौ वर्ष पूर्व स्त्री चुनाव में मत देने के लिए लड रही थी, शिक्षा व आर्थिक अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी, लेकिन अधिकारों से उसे मात्र अपने परम्परागत भूमिकाओं को अधिक असरदार रूप से सम्पन्न करने की क्षमता प्राप्त हुई। माँ, गृहिणी और अध्यापिकाओं के रूप में वे अधिक जागरूक हो गई। स्त्रियां उन शक्तियों व स्थितियों को समाप्त करना चाहती है जिनसे उन्है समानता के अवसर प्राप्त नहीं होते और वे इच्छाओं की पूर्तियों के अधिकार से वंचित हो जाती है।

यूनिसेफ की हाल ही की ताजा रिपोर्ट में भारत में लिंग समानता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई है, परंतु साथ ही इस बात पर भी बल दिया है कि भारत को इस क्षेत्र मे अभी बहुत आगे जाना है अर्थात् फिलहाल किए गए प्रयास काफी नहीं है। इसके लिए उसे और अधिक प्रयास करने होगें तभी जाकर भारत में पूरी तरह से लिंग समानता आएगी। अतः हम कह सकते है कि वर्तमान में भी स्त्रियों की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की अपेक्षा की जा रही थी या आम तौर पर बताई जाती है।

स्त्रियों की राजनीति मे समान भागीदारी की बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन्स द्वारा प्रमुखतः स्त्रियों के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु आयोजित सम्मेलन[64] सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. जो 1979 में स्वीकार किया गया था, द्वारा गारण्टी दी गई। परंतु सभी सरकारों द्वारा इसकी अनुपालना सुनिश्चित किए जाने का अभाव रहा। जहां तक महिला अधिकारों की कानूनी स्थिति का प्रश्न है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता की गारण्टी दी गई है। परंतु उच्चस्तरीय कार्यपालिका तथा विधायिकाओं में स्त्रियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव है जिसके फलस्वरूप स्वकानूनों तथा नीतियों को प्रभावित करने में उनकी शक्ति सीमित है। भारत में पंचायत तथा नगरीय स्थानीय निकायों स्तर पर लाक्षों स्त्री प्रतिनिधि है जो शेष विश्व की कुल स्त्री नेताओं से अधिक है। इन ग्रामीण एवं नगरीय स्वायतशासी संस्थाओं में स्त्रियों का यह प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान में क्रमशः

73वें तथा 74वें संविधान संशोधन जिसमें महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, द्वारा संभव हो सका।

73 वां संविधान संशोधन –

यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्तर प्रदान करने के लिए लाया गया है। इस संविधान में माध्यम से प्रत्येक पंचायती राज संस्था के चुनावों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण भी किया गया है। इससे संदर्भित प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आंवटन बारी – बारी से किया जाता रहेगा।

74 वां संविधान संशोधन –

इस संशोधन के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम एक तिहाई स्थान (अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगें और इन स्थानों का भी बारी – बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन किया जाता रहेगा।

स्वशासी संस्थाओं में लाभान्वित महिलाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका –

ग्राम पंचायतों में अधिकतम विकास कार्यों का सम्पादन कार्यकारी एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम व निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है एवं विकास का सशक्त माध्यम है लेकिन वास्तव में इतने कल्याणकारी प्रयत्नों एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी क्षेत्र में गरीबी व्याप्त है। पंचायतों के द्वारा पक्षपातरहित विकास का मॉडल अपनाकर सभी वर्गों को लाभ देना चाहिये था परन्तु लाभान्वित योजनाओं में वे लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं जो वास्तव में गरीब हैं क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सूची में चयन पक्षपातपूर्ण व राजनीति से प्रभावित है। विकास कार्यों से विभिन्न आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है परन्तु ये सुविधाएँ पंचायत मुख्यालय पर अधिक हैं। आसपास के लघु उप–ग्रामीण क्षेत्र व दूरस्थ एरिया अभी विकास की प्रतीक्षा में हैं। यही हाल यहाँ के निवासियों का है जहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अनेक प्रकार

की विषमताओं ने स्थायी घर बना लिया है। इसी प्रकार इन दूरस्थ क्षेत्रों में विकास आयोजना का उचित मूल्यांकन व नियंत्रण न हो पाने की वजह से विकास कार्यों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।

महिला शिक्षा नीति तथा राजनीति – समाज में महिला तथा बालिकाओं के स्तर एवं स्थिति में सुधार करने तथा शोषण एवं शोषणवादी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं पद्धतियों व तंत्र को गतिशील बनाना व राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास हेतु सहायक वातावरण तैयार करना महिला शिक्षा नीति का उद्देश्य है, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न प्रयास उल्लेखनीय है –

1. ऐसी शिक्षा नीतियां व कार्यक्रम लागू करना जो लिंग समानता एवं सामाजिक न्याय (जैंडर न्याय सहित) प्रदान करने तथा महिलाओं को अपने सवैंधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाए।

2. घर की अर्थव्यवस्था समाज एवं राज्य में महिलाओं की उत्पादक भूमिका को मान्यता देना। सरकार संसाधनों एवं विकास के परिमापों तक सबकी समान पहुँच एवं नियंत्रण के लिए प्रयत्न करेगी।

3. अत्यधिक दरिद्र एवं विषम परिस्थितियों में बालिकाओं, किशोरी कन्याओं एवं महिलाओं की विशेष जरूरतों को मान्यता देना तथा समाज के दुर्बल वर्गो के विकास हेतु प्रयासों को लक्षित करना।

4. महिलाओं में कुपोषण, अस्वस्थता, जल्दी बच्चे पैदा होने एवं अधिक मृत्यु के जीवन चक्र को मान्यता देना; महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जीवन चक्र के ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना जो बचपन से वृद्धावस्था तक प्रत्येक चरण पर आवश्यकताओं को मान्यता देता है। महिलाओं को प्रजनन पर अधिक नियंत्रण करने एवं अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए सहायता प्रदान करना।

5. सभी बालिकाओं को कम से कम प्राथमिक शिक्षा दिलाना, निरक्षर एवं नव साक्षर किशोरियों एवं महिलाओं को बुनियादी एवं सतत् शिक्षा के अवसर प्रदान कराना तथा महिलाओं को शिक्षा के सभी स्तरों पर सहायता प्रदान करना।

6. सभी स्तरों पर तथा सभी विभागों में सरकारी कार्यकर्त्ताओं की जैण्डर संवेदनशीलता के लिए सहायक वातावरण एवं उपयुक्त तंत्र सृजित करना तथा राजनीतिज्ञों, राय निर्माताओं एवं मीडिया को संवेदनशील करना।

7. राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोन्नत करना एवं समर्थन देना तथा विकास के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करना।

राजस्थान में महिलाओं की राजनीति में भूमिका – राजस्थान सरकार ने पंचायती राज से संबंधित पूर्व के दोनों अधिनियमों (पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1959) को निरस्त कर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिप्रेक्ष्य में नया पंचायती राज अधिनियम 1994 तैयार कर 23 अप्रैल 1994 से राज्य में लागू कर दिया अब राज्य की संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था जिसमें 9187 ग्राम पंचायते, 237 पंचायत समितियां तथा 32 जिला परिषदें शामिल है। इस अधिनियम के प्रावधानों नियमों एवं उपनियमों से संचालित होगी। राज्य सरकार ने नए अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराने के नियम एवं उपनियम बनाकर लागू की। जिनके अनुरूप वर्ष 1994 के अंतिम माह में राज्य की पंचायती राज व्यवस्थाओं के तीनो स्तरों की सभी संस्थाओं के चुनाव कराए गए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद राज्य में कुल 1 लाख 19 हजार 419 जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए है जिनमें से 38 हजार 791 महिलाएँ लगभग 15 हजार अन्य पिछडा वर्ग के 20 हजार 712 अनुसूचित जाति एवं लगभग 18 हजार अनुसूचित जनजाति के जन–प्रतिनिधि है। राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में पहली बार इतनी अधिक मात्रा में समाज के इन कमजोर वर्ग के लोगों एवं महिलाओं की राज्य के ग्रामीण विकास में तीनों ही स्तरों पर सहभागिता सुनिश्चित की गई। राजस्थान के साथ–साथ अन्य राज्यों में भी कई स्थितियों में चुनावी परिणाम महिलाओं की सहभागिता के संबंध में बहुत आशाप्रद रहे।

साहित्य समीक्षा

अंजना मेत्रा ने अपने प्रस्तुत लेखों के संग्रह 'वूमन इन ए चेन्जिग सोसाइटी' में यह स्थापित करते हें कि महिला हमारे समाज का केन्द्र होती हें। इस पुस्तक में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली बहु आयामी भूमिका पर बल दिया है व विविध विषयों को समाविष्ट किया है जैसे समाज में महिला, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की प्रस्थिति, शहरी महिलाओं की समस्याएँ व परिदृश्य, कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन इत्यादि।[32]

बी.के.पॉल ने 'प्राब्लम्स एंड कान्सनर्स ऑफ इंडियन वूमन' में महिलाओं के सामने कठिन परिश्रम के बावजूद आने वाली बहुत सी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया हैं।

महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं के कारण है अनुचित न्याय, सामन्तवादी लोकाचार, सामाजिक पिछडापन, पूँजीवादी व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास व समाज की संकुचनशीलता। इस कार्य के अन्तर्गत पृथक्करण, अन्याय व अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध सुझाव दिए हैं। यह उन्हें अंधेरे में आशा की किरण व जीत का आश्वासन देता हैं।[33]

चेतना कालबाग ने अपनी सात भागों में प्रकाशित पुस्तकों की श्रेणी वूमन एंड डेवलपमेंट में महिलाओं की राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में भूमिका पर प्रकाश डाला हैं। महिला की भूमिका जो उन्होनें सामाजिक परिवर्तन व आधुनिकता की शाखा के नए निर्णायक आयाम के रूप में अर्जित की हैं। उन्होनें महिलाओं की राष्ट्र के विकास में भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास किया हैं।[35]

धर्मवीर व कमलेश महाजन ने 'कन्टेम्परेरी इंडियन वूमन' छः भागों की पुस्तक में महिलाओं से जुडे वर्तमान के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे आधुनिकीकरण व महिलाओं का विकास, हिंसा, शोषण व महिला अधिकार, महिलाओं की सामाजिक स्थिति व उत्तरदायी तत्व महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी, शिक्षा में बदलती भूमिका व उभरती समस्याएँ इत्यादि।[37]

डॉ. वी.मोहिनी गिरी ने अपने कार्य 'इमेन्सीपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वूमैन' में महिलाओं के मुक्ति और सशक्तीकरण की प्रक्रिया की प्रमाणिक प्रस्तुति दी हैं। महिलाओं से संबंधित बहुल पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सशक्तीकरण, लिंग असमानता, महिला अधिकार, कानून, महिला के प्रति हिंसा मीडिया की भूमिका आदि पर चर्चा की हैं।[38]

पी.डी. साकिया ने 'इंडियन रूरल वूमन' में देश की उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं का आन्तरिक अध्ययन प्रस्तुत किया हैं। यह मान्यता है कि समाज में महिलाओं का स्तर चाहे वों विकसित देश हो या विकासशील देश पुरूषों से कमतर ही हैं। यह अध्ययन असम की महिलाओं के व्यस्त 14 घंटों के कठिन परिश्रम व कडी मजदूरी पर प्रकाश डालता हैं।[44]

देवकी जैन[56] ने 'इंडियन वीमैन' में भारतीय महिलाओं की स्थिति में बताया है कि महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए जारी चुनौतियों के बावजूद, 1970 के दशक में राज्य में लिंग समानता की मान्यता ने महिलाओं को नए स्थानों का दावा करने के लिए आत्मविश्वास दिया। कई तरह के उत्पीड़न कि महिलाओं को अभी भी वर्ग और जाति के बीच सामना कर रहे हैं, और पितृसत्ता अभी भी एक बड़ी बाधा है।

आर.के. सप्रू ने अपने अध्ययन में पाया कि महिलाऐं न केवल आर्थिक रूप से पराश्रित और शोषित है बल्कि राजनीतिक और वैधानिक दृष्टि से शक्तिहीन भी है। अधिकतर महिलाऐं ऐसी परिस्थिति में जीवन व्यतीत करती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है, उन्हें प्रजनन के संबंध में निर्णय का अवसर प्राप्त नहीं है, उनके शिक्षा के अवसर सीमित है, उनकी आर्थिक सहभागिता अत्यधिक कम है तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।[61]

कृष्णराज ने पाया कि स्त्रियों की समस्या केवल लैंगिक विभेद की समस्या है वरन् विकास की भी समस्या है। नवीन विकास प्रक्रिया के बावजूद भी महिलाओं की निम्न स्थिति परम्परागत असमता और विभेद का परिणाम है और दूसरी ओर विकास की नवीन प्रक्रिया स्वयं पूर्वाग्रह और विभेदमूलक प्रतिमानों से ग्रसित है।[62]

जवाहर लाल सिंह के अनुसार भारतीय संविधान में कुछ ऐसे संविधानों में से एक है जिनमें महिला और पुरूषों को समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन महिलाओं का स्थान समाज में राजनीति में और आर्थिक क्षेत्र में द्वितीयक ही रहा है। महिलाओं के योगदान को उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना कि पुरूषों के योगदान को। आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों की बडी संख्या तरह तरह के शोषण का शिकार है। रोजगार करने वाली महिलाओं में 6 प्रतिशत संगठित क्षेत्रों में काम करती है शेष 94 प्रतिशत के लिए कोई श्रम कानून लागू नहीं हो पाता है। पुरूषों के समान पारिश्रमिक पाने और मातृत्व की जिम्मेदारी के कारण अपेक्षित कानूनी व सामाजिक सुविधाऐं पाने की मांग की वजह से उन्हें नौकरियों के उपयुक्त ही नहीं समझा जाता। मालिक लोग औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में स्त्रियों का स्थान पुरूषों और यंत्रों को देने लगे है जिससे स्त्रियों की श्रम शक्ति का हास हो रहा है। स्त्रियों की क्षमता और कार्य कुशलता के बारे में पुरूषों के दिमाग में आज भी परम्परागत धारणाऐं मौजूद है जिनके कारण स्त्रियों स्वयं को आर्थिक, सामाजिक व नैतिक रूप से भी असुरक्षित अनुभव करती है।[64]

अध्ययन समस्या –

प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में शैक्षणिक परिवेश की भूमिका को ज्ञात करने के संदर्भ में है।

अध्ययन का महत्व –

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न महत्व दृष्टिगत है –

1. बालिका शिक्षा हेतु सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के प्रभावी बनाने में सहायक होगा।
2. राजनीति में महिलाओं की वास्तविक प्रस्थिति का पता चलेगा जिससे उनमें अधिक सुधार के लिए आगे बनायी जाने वाली योजनाओं के लिए अध्ययन पथपदर्शक साबित होगा।
3. महिलाओं के राजनीति में प्रवेश की प्रमुख समस्याओं के सामने आने से महिला विकास की स्थिति का पता चलेगा और उनमें सुधार के लिए यह अध्ययन एक आधार बनेगा।
4. राजनैतिक दलों के लिए भी यह अध्ययन सुधार की दृष्टि से एक अच्छा संकेतक बनेगा।
5. आम महिलाओं के लिए भी यह अध्ययन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बताकर उन्है भी आगे लाने तथा प्रोत्साहित करने का काम करेगा।
6. अध्ययन से महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति तथा राजनीति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा तथा उसमें सुचारूता लाने में यह अध्ययन काम आएगा।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की भूमिका को महिला शिक्षा में प्रभावी बनाने के काम आएगा।

अध्ययन का विषय तथा चुनाव का कारण –

अध्ययन का विषय ग्रामीण महिलाओं की शैक्षणिक प्रस्थिति का राजनीतिक सहभागिता के प्रभाव को जानना है, ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं उनके काम करने के तरीकों, जनता के साथ जुडने तथा आम महिला के लिए किए गए कार्यों को जानना इस अध्ययन का विषय रहा है। विषय चुनाव का कारण महिला शिक्षा के विकास का महिला राजनीतिक सहभागिता में आ रहे परिवर्तन को जानना रहा।

दूसरा कारण यह भी रहा कि शिक्षित ग्रामीण महिला एक आम महिला को किस प्रकार आगे बढने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, क्या वे एक आम महिला को आगे बढाने में योगदान दे रही है या नहीं।

तीसरा कारण महिला शिक्षा की वास्तविक समस्याओं को आम जन के सामने लाने का है कि क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को शोषण, लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पडता है या नहीं।

चौथा कारण सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षा में भूमिका को ज्ञात करना है।

समग्र : –

राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बडा राज्य है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5,65,07,188 लाख की कुल आबादी के साथ यह आठवें स्थान पर है। राज्य की 23.4 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है।

राजस्थान उन राज्यों में से है जहां महिलाओं संबंधित विकास की दृष्टि से महिलाओं का स्तर न्यूनतम आंका गया है। दूसरी और निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी संसद सभा, स्थानीय निकायों व प्रशासनिक सेवाओं में उनकी संख्या अथवा उनकी प्रभावी भूमिका में कमी के कारण भी न्यूनतम रही है।

74 वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप जहां राज्य में संख्या के आधार पर महिलाओं के एक तिहाई भागीदारी मिल पायी है वहीं पिछलें कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर यह बात स्पष्ट हुई है कि विभिन्न कारणों के रहते महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी उतनी निर्णायक व प्रभावी नहीं हो पायी है जितनी कि अपेक्षित थी। इसका एक मुख्य कारण सम्भवतः यह रहा कि महिला जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के पश्चात् उनके नेतृत्व कौशल व प्रबन्धकीय निर्णय लेने में उन्है न केवल एक सरपंच के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है अपितु महिलाओं के विकास के प्रति भी सजग रहते हुए तत्परता से कार्य करना होगा।

राज्य की वर्तमान सरकार ने राज्य में महिलाओं के समुचित विकास का लिंग क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए मार्च, 2000 में राज्य की महिला नीति घोषित की। नगरीय स्थानीय निकायों की महिला जन प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि व प्रशिक्षण इस नीति का महत्वपूर्ण अंग है।

समग्र के रूप में दूदू पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले गांवों का चयन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यपरक निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुए समग्र की 400 महिलाओं को चुना गया है

चयनित इकाइयों से प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिला शिक्षा का महिला सशक्तीकरण की अवधारणा में आए परिवर्तनों को जानना।

2. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं के साथ होने वाले नए प्रकार के भेदभाव के क्षेत्रों का पता लगाना।

3. शिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. शिक्षित ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक विकास, पंचायती राज व्यवस्था में उनकी भूमिका के स्तर का पता लगाना।

5. पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षित महिलाओं के कारण परिवर्तन तथा प्रभावों को ज्ञात करना।

6. महिला सशक्तीकरण के समक्ष आने वाली समस्याओं को जानना।

7. सामाजिक परिवर्तन में शिक्षित महिलाओं और पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका ज्ञात करना।

अध्याय विन्यास

1. प्रस्तावना तथा उपलब्ध साहित्य समीक्षा
2. महिला शिक्षा : राजस्थान में महिलाओं की स्थिति
3. महिला शिक्षा तथा राजनैतिक सहभागिता में परिवर्तन
4. महिला शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन
5. ग्रामीण महिलाओं की समस्याऐं
6. निष्कर्ष

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मेत्रा, अंजना; ''वूमन इन ए चेन्जिग सोसाइटी'' कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, 1985

2. बी.के. पॉल; ''प्राब्लम्स एंड कार्न्सनस् ऑफ इंडियन वूमन'' पैरेग्राइन पब्लिकेशन, 1987

3. महाजन, धर्मवीर और महाजन, कमलेश; ''कंटेम्पररी इंडियन वूमन'' दीप प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996

4. गिरी, वी. मोहिनी; ''एमेन्सीपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वूमन'' ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1998

5. पी.डी. साकिया; ''इंडियन रूरल वूमन'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016

6. देवकी जैन ने 'इंडियन वीमैन', 2016

7. सप्रू, आर.के; 'वीमैन एण्ड डवलपमेंट' आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1989.

8. कृष्णराज, 'वीमैन एण्ड डवलपमेंट', एस.एस. प्रकाशन, पूना, 1988.

9. सिंह, जवाहर, 'वीमैन वर्कस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टरः प्रॉब्लम्स एण्ड प्रोसपेक्टस्' वीमैन स्टडीज सेंटर, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, 2010.

10. पंचायतीराज की रिपोर्टस्, 2001–2016, पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार।

11. महिला सशक्तीकरण और योजनाऐं, जनगणना एवं सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार, 2016.

12. नेकमाइस चीवा फ्रेंकफोर्ड एवं गुरप्रिरो अन्ना लियोन, (2002),''सोशल स्टेटिक्स फोर ए डाइवर्स सोसाइटी'', पाइन फोर्ग प्रेस, केलिफोर्निया

13. यंग,पी.वी., (1992),''साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च'', प्रिटिंग हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली।

14. जनगणना रिपोर्ट, 2011, जनसांख्यिकी एवं जनगणना निदेशालय, हरियाणा सरकार।